# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2/2019 (2019/00002)

इन्द्रा पुत्री चिमना राम पत्नी जगदीश, जाति राजपूत निवासी नुकेरां तहसील संगरिया हाल नुईयांवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।

—अपीलार्थी

बनाम

1. घीसे खां पुत्र जमालूदीन जाति व्यापारी निवासी वार्ड नम्बर 11, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रोशन लाल पुत्र बनवारी लाल जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 21, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. कुलदीप पुत्र प्रताप सिंह जाति कलाल निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मगना कंवर बेवा करणी सिंह जाति राजपूत निवासी भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. गोविन्द राम पुत्र नागर मल जाति महाजन निवासी भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. भंवर सिंह पुत्र करणी सिंह जाति राजपूत निवासी भादरा तहसील भादरा।
7. अनूप सिंह पुत्र करणी सिंह जाति राजपूत निवासी भादरा तहसील भादरा।
8. प्रताप सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी भादरा तह. भादरा— **मृतक**

| | | |
|---|---|---|
| 8/1 | ममता पत्नी प्रताप सिंह | जाति राजपूत निवासी हाल वार्ड नं. 25 कस्वा भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। |
| 8/2 | पूजा पुत्री प्रताप सिंह | |
| 8/3 | करीना पुत्री प्रताप सिंह | |
| 8/4 | माया पुत्री प्रताप सिंह | |
| 8/5 | प्रियंका पुत्री प्रताप सिंह | |
| 8/6 | ज्योति पुत्री प्रताप सिंह | |
| 8/7 | उमाशंकर पुत्र प्रताप सिंह | |

9. बृज सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. राजू पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत ... भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. ओमवती बेवा पाल सिंह जाति राजपूत निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

12. रोहताश पुत्र पाल सिंह जाति राजपूत निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
13. सुन्दर पुत्र पाल सिंह जाति राजपूत निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़– **लाऔलाद फौत नाम कलमजन**
14. कालू पुत्र पाल सिंह जाति राजपूत निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
15. सरदुल सिंह पुत्र सोभा सिंह जाति राजपूत निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ – **लाऔलाद फौत नाम कलमजन**
16. अनवर हुसैन पुत्र हाजीदीन मोहम्मद जाति कुरेशी निवासी वार्ड नम्बर 11 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 20.12.2018, प्र. सं. 280/2011

उपस्थितिः–

श्री विजय सिंह कड़वासरा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक

अपील अधिकारी राजस्व हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 20.7.21

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 का पेश कर कथन किया कि चक 8 बारानी के मुरब्बा नम्बर 130 के किला नम्बर 13, 14, 15, 17 से 21 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि महताब का 1/2 हिस्सा था शेष 1/2 हिस्सा में जैसा, सोना सिंह व सुगरी बहिस्सा बराबर के 1/2 हिस्सा गैर खातेदारी थी। महताब वादिया की भुआ थी जिसके कोई औलाद नहीं थी। महताब ने वादिया के पक्ष में अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की एक वसीयत वादिया के पक्ष में दिनांक 22.11.1996 को करवा दी। महताब की मृत्यु दिनांक 23.[illegible].1997 को हो चुकी है। महताब की मृत्यु के पश्चात वादिया का चक 8 बारानी में 8 बीघा भूमि में महताब का जो 1/2 हिस्सा था उसे वादिया वसीयत के आधार पर प्राप्त करने की अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। राजो महताब की ननद थी। राजो ने महताब को 1977 में मृत दिखा दिया और जरिये इन्तकाल भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। चूंकि महताब के नाम भूमि गैर खातेदारी थी जिसे राजो ने अपने नाम फर्जी तौर पर इन्तकाल दर्ज करवाकर बाद में उसे खातेदारी दर्ज करवा लिया। राजो की 1996 में मृत्यु हो चुकी है जिसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 5 से 15 ने अपने आप को राजो के वारिस दर्शाते हुए उक्त भूमि का अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा लिया जिसकी जानकारी वादिया को नहीं थी। प्रतिवादी रोशन लाल व कुलदीप सिंह 60 हिस्सा कृषि भूमि का एक बैयनामा प्रतिवादी प्रताप सिंह आदि के पक्ष में करवा दिया। प्रतिवादी कुलदीप सिंह से प्रतिवादी घीसे खां ने 30 हिस्सा का बैयनामा दिनांक 02.01.2008 को अपने नाम करवा लिया। प्रतिवादी गोविन्दराम ने दिनांक 09.01.1997 को 20 हिस्सा भूमि प्रतिवादी भंवर सिंह, अनोप सिंह मगना कंवर से अपने नाम जरिये बैयनामा खरीद कर इन्तकाल दर्ज करवा लिया। प्रतिवादी गोविन्दराम से इसी 20 हिस्सा का बैयनामा दिनांक 04.02.07 को घीसे खां ने अपने नाम करवाकर इन्तकाल दर्ज करवा लिया। वर्तमान जमाबन्दी में महताब के नाम जो कृषि भूमि थी वह प्रतिवादी रोशन लाल 30 हिस्सा व प्रतिवादी घीसे खां 50 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। मु. राजा महताब की पुत्री नहीं थी न ही उसकी वारिस व उत्तराधिकारी थी। मु. राजा महताब की ननद होने के कारण उसका वादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं था। महताब के जीवनकाल में राजा का कोई हक एवं अधिकार महताब की भूमि में प्राप्त नहीं हुए थे। इस प्रकार वादी ने वाद में विस्तृत विवेचन करते हुए अनुतोष में यह चाहा कि चक 8 बारानी के मुरब्बा नम्बर 130 के किला नम्बर 13, 14, 15, 17 से 21 की 2.024 हैक्टेयर भूमि में महताब के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी में महताब के स्थान पर वादिया को वसीयत दिनांक 22.11.1996 के आधार पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे उसमें प्रतिवादी घीसे खां व प्रतिवादी रोशन लाल का कोई हिस्सा नहीं है एवं इनका नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन कर वादिया को बतौर खातेदार घोषित किया जावे ए वं जो इन्तकाल दर्ज हुए है उन्हें प्रभावहीन एवं शून्य घोषित किया जावे। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे भूमि [illegible] हस्तान्तरण न करें एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेद[illegible] जावे।

2. वाद पेश होने पर प्रति[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा पेश कर कथन किया कि महताब वादिया की भुआ नहीं थी। वादिया का महताब से कोई संबंध नहीं है। महताब ने अपने जीवन काल में कोई वसीयत नहीं की थी। तथाकथित वसीयत गैर खातेदारी भूमि की है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों अनुसार नहीं की जा सकती। महताब ने अपने जीवन काल में कोई वसीयत नहीं की। तथाकथित वसीयत फर्जी व कूटरचित है। वादिया ने प्रतिवादी को तंग व परेशान करने के लिए दावा पेश किया है। वादिया का वाद खारिज किया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब दावा पेश कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया।

4. दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अनुतोष सहित पांच वाद बिन्दु कायम किये गये।

5. दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.12.2018 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध वादी/ अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

6. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि महताब वादिया की भुआ थी। उसके द्वारा दिनांक 22.11.1996 को वादिया के पक्ष में अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत की गई थी। वसीयत के आधार पर वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदार घोषित किये जाने बाबत् वाद पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियात कायम की जिन्हें वादिया के द्वारा साक्ष्य से साबित किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि विवादित भूमि गैर खातेदारी थी जिसकी वसीयत नहीं हो सकती थी, जबकि विवादित भूमि की वसीयत गैर खातेदारी भूमि की हो सकती है, क्योंकि यह भूमि उपनिवेशन क्षेत्र की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर आर डी 2020 पेज 347, आर आर डी 199 पेज 339, आर आर डी 2002 पेज [illegible], आर आर डी [illegible] पेज 391 की नजीरें पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:17 IST
Reason: SelfAttested

8. विद्वान अभिभाषक रेस्प[illegible] किया कि वादी द्वारा वाद राजस्थान काश्तकारी [illegible] 88, 188 का पेश किया है। वादी के वाद का मुख्य आधार वसीयत है, जो साबित नहीं हुई है। वसीयत पर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रामजीलाल के हस्ताक्षर ही नहीं है। इसके अतिरिक्त राजो महताब की उत्तराधिकारी नहीं है। वसीयत में विवादित भूमि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विवादित भूमि गैर खातेदारी की थी जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए वादी का वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अपने पक्ष के समर्थन वकील रेस्पोडेंट ने आर आर टी 2017 पेज 991, 2001 आर आर डी 01, 1990 आर आर डी 298, आर आर सी 2000 पेज 508, 1988 आर आर डी 527, 1992 आर आर डी 114, 2000 आर आर सी पेज 522 की नजीरें पेश की।

9. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

10. वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद का मुख्य आधार तथाकथित वसीयत दिनांक 22.11.1996 है। उक्त वसीयत महताब द्वारा अपीलांट के पक्ष में किया जाना अंकित किया है, किन्तु उक्त तथाकथित वसीयत में किस भूमि की या किस सम्पत्ति की की गई है, का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि वसीयत में स्पष्ट रूप से वसीयत की जानी वाली सम्पत्ति का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आज्ञात्मक प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बरवक्त वसीयत विवादित भूमि गैर खातेदारी की थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों अनुसार गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती। वादी द्वारा वसीयत के आधार पर अपने वाद को साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना था, किन्तु वह किसी भी प्रकार से साबित करने में सफल नहीं रही। वादिया द्वारा विवादित भूमि पर अपना कब्जा भी साबित नहीं किया, क्योंकि विवादित भूमि जरिये बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय की जा चुकी है जिनका नामान्तकरण भी उनके पक्ष में हो चुका है जिससे अपीलांट ने इन्कार नहीं किया। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर आर सी 2000 पेज 508 में यह निर्धारित किया गया है कि वादी को अपना केस साबित करना आवश्यक है यदि वह अपना पक्ष साबित करने में असफल रहे तो प्रतिवादी की कमजोरी का फायदा वादी को कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए कोई अधिकारी नहीं बनाता चाहे वह किसी राजीनामें में स्वीकृत तथ्य ही क्यों न हो। मौजूदा मामला में तथाकथित वसीयत किसी भी प्रकार से साबित होना नहीं पाया जाता है, न ही गैर खातेदारी भूमि की [illegible] है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि में से जरिये बैयन[illegible]ीकृत बैयनामा को किसी सक्षम न्यायालय में चु[illegible] निरस्त करवाया हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत विवेचन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करते हुए प्रत्येक तनकी का निर्णय कर वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का संशोधन व परिवर्तन करना उचित नहीं समझते हैं। फलस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डक्री 20.12.2018 यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावल निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.7.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

20/7/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:17 IST
Reason: SelfAttested